सेवा में,

तहसीलदार साहब
गुड़गांव

विषयः **गांव पवाला खुसरोपुर में स्थित जमीन का लैंड सर्टिफिकेट देने बारे।**

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जितेन्द्र जांघू व रोंहताश जांघू पुत्रान श्री मीर सिंह खेवट नं0 419/424, मुस्तील नं0 15 किला नं0 1(8–0), 2/1(1–8), 9/2(1–8), 10(8–0), किता 4 रकबा तादादी 18 कनाल 16 मरला (9510 वर्ग मीटर) बरुवे इंतकाल नं0 2139–2140 बैय तारीख. फैसला 05.09.2007 व इंतकाल नं0 2323 तकसीम तारीख फैसला 29.09.2008 द्वारा गांव पवाला खुसरोपुर तहसील व जिला गुड़गांव के मालकान है।

उपरोक्त भूमि जितेन्द्र जांघू व रोहताश जांघू पुत्रान श्री मीर सिंह समभाग ने इंतकाल नं0 2296 पट्टा तारीख फैसला 09.07.2008 द्वारा श्रीमति सरती देवी ऐजूकेशन सोसाईटी रजिस्टर्ड आफिस ए–9, न्यू पालम विहार गुड़गांव को बदले मु0 50,000/– रुपये बिलमुक्ता दिनांक 11.06.2008 ता 10.06.2038 तक अरसा 30 साल पट्टा पर दी हुई है।

उपरोक्त नम्बरान खसरा भूमि के एक टुकड़े की शक्ल में एक स्थान पर इकट्ठा है। जिस पर रॉयल औक इन्टरनेशनल स्कूल बना है। जिसके पश्चिम दिशा में रास्ता आम है बाकी तीनो दिशाओं में प्लाट है। उपरोक्त रकबा हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा इस पर किसी प्रकार का लोन बकाया नही है। उपरोक्त भूमि सरपलस भूमि नही है।

अतः जनाब से निवेदन है कि पटवारी हल्का को बाबत लैण्ड सर्टिफिकेट रिपोर्ट आदेश दिया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

प्रार्थी

जितेन्द्र जांघू पुत्र श्री मीर सिंह
निवासी गांव दौलताबाद तहसील व
जिला गुड़गांव

श्री मान जी.

रिपोर्ट की जाती है कि जितेन्द्र जांघू व रोहताश जांघू पुत्रान मीर सिंह खेवट नं० 419/424 मुस्तील नं० 15 किला नं० 1 (8-0) 2/1(1-8) 9/2 (1-8) 10(8-0) किता 4 रकबा तादादी 18-16 (9510 वर्ग मीटर) इन्तकाल नं० 2139-2140 बय तारीख फैसला 5/9/07 व इन्तकाल नं० 2323 तकसीम तारीख फैसला 29/9/08 द्वारा गाँव पवाला खुसरूपुर तहसील व जिला गुड़गांवा के नाम चल रहा है/ तथा उपरोक्त भूमि जितेन्द्र जांघू इन्तकाल में 22% व रोहताश जांघू पुत्रान मीर सिंह साझा में श्रीमति सरला देवी एजुकेशन पट्टा तारीख फैसला 9/7/08 द्वारा श्रीमति सरला देवी सोसाइटी रजि० आफिस ए-9 न्यू पालम विहार गुड़गांवा को बदले रु० 50,000/- रुपये वार्षिक किराया 11/6/08 से 10/6/2038 तक अरसा 30 साल के पट्टा पर दी हुई है/ उपरोक्त नम्बरान खसरा भूमि के एक टुकड़े की शक्ल में एक स्थान पर इकट्ठी है जिस पर रायल ओक इन्टरनेशनल स्कूल बना हुआ है/ जिसके पश्चिम दिशा में आने-जाने का रास्ता बाकी तीनों दिशाओं में खाल है/ उपरोक्त रकबा हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा इस पर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है तथा उपरोक्त भूमि सरकार से कुर्क नहीं है

30/7/2013

CERTIFICATE OF LAND

File No............ Dated............

As per report of Halka Patwari it is certified that **Mr. Jitender Janghu and Mr. Rohtash Janghu** Sons of Sh. Meer Singh are owners of Land bearing

Khewat No. 419/424, Rect. No. 15 Killa No. 1(8-0), 2/1(1-8, 9/2(1-8), 10(8-0), Total measuring 18 Kanals 16 Marlas (9510 sq. mtrs.) situated in the revenue estate of Village Pawala Khasro Pur Tehsil and Distt Gurgaon vide Mutations No. 2139-2140 Dated 05-09-2007 and Partion Mutation No. 2323 Dated 29-09-2008.

Mr. Jitender Janghu and Mr. Rohtash Janghu are owners of said land in equal share transfer their lease right to Sarti Devi Educational Society Regd, Office A-9, New Palam Vihar, Gurgaon for a lump-sum amount of Rs. 50,000/- for a period 30 years dated 11-06-2008 to 10-06-2038 Vide Lease Deed Mutation No. 2296 dated 9-7-2008.

Above said khasra No./Killa Nos are in one piece of land and Royal Oak International School is built upon the said land as bounded west side Road and all three side others owner Plot. The above said land is free from all sorts of encumbrances or sale and surplus area.

Tehsildar
Gurgaon 31/7/13
Executive Magistrate/Registering
Authority with Designation

प्रेषक :- जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव।

सेवा में

निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
शिक्षा सदन, सै0-5, पचंकुला।

यादी कमांक :- जी01/2012/ 951-53 दिनांक:- 5/3/12

विषयः- **CWP No. 1952 of 2011 Smt. Sarti Devi Educational Society V/s. State of Haryana.**

....

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र कमांक 7/3-2012 पी0एस0(2) दिनांक 27-01-2012 के सन्दर्भ में।

विषयांकित सिविल रिट पैटीशन नं0 1952/2011 श्रीमति सरती देवी एजूकेशनल सोसायटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे दायर की थी। इस सोसायटी के अन्तर्गत रायॅल ऑक इन्टरनैशनल स्कूल, पालम विहार, गुड़गांव कक्षा पहली से आठवीं कक्षा तक चल रहा है। विद्यालय की आठवीं की मान्यता इस कार्यालय के आदेश कमांक ए0-111/2005/1274-78 दिनांक 29-07-2005 के द्वारा दी गई थी। जिस भवन/जमीन पर मान्यता दी गई थी वह भवन/जमीन अब नैशनल हाईवें अथोरिटी आफ इण्डियां द्वारा रोड के लिये अधिग्रहण कर ली गई हैं। अब विद्यालय पूर्व विद्यालय से लगभग 400 गज की दूरी पर नये भवन/जमीन पर चल रहा है। जिस भूमि पर विद्यालय तैयार किया गया है वह लगभग 27 कनाल है जिस भवन/जमीन पर कक्षाएं चल रही है उस भवन का सी0एल0यू0/एन0ओ0सी0 सम्बन्धित विभाग से नहीं ली गई है। महाअधिवक्ता, हरियाणा चण्डीगढ़ ने अपने पत्र यादी कमांक नं0 54108 दिनांक 25-11-2011 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी गुड़गांव को मौका मुआयना करने तथा अपनी रिपोर्ट विभाग को देने के निर्देश दिये गये थें। संलग्न रिपोर्ट अनुसार विद्यालय नार्म अनुसार ठीक पाया गया है। अब वर्तमान में विभागीय नियमानुसार मिडिल विद्यालयो की मान्यता निदेशालय द्वारा ही दी जाती है। अतः आपकों माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-12-2011 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार एक माह के अन्दर-2 अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति

2. कमांक ए0-111/2005/1274-78 दिनांक 29-07-2005 की प्रति
3. निरीक्षण रिपोर्ट

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
गुड़गांव

पृ0 कमांक :- सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. उपायुक्त महोदय, गुड़गांव को निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा पचंकुला के यादी कमांक 7/3-2012 पी0एस0(2) दिनांक 27-01-2012 के सन्दर्भ में।
2. प्रधानाचार्य, रायॅल ऑक इन्टरनैसनल स्कूल, पालम विहार, गुड़गांव। Regd

5/3/12
जिला शिक्षा अधिकारी
गुड़गांव
5/3/12

प्रेषक

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, सैक्टर–5, पंचकुला।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
गुड़गांव।

यादी कमांक 7/8–2012 पी0 एस0 (2)
दिनांक पंचकुला :–

विषयः– **सी0 डब्लयु0पी0 न0 1952 आफ 2011 श्रीमती सरती देवी एजुकेशनल सोसाईटी बनाम हरियाणा सरकार (स्कूल भवन शिफट करने की घटनोतर स्वीकृति प्रदान करने बारे)।**

उपरोक्त विषय पर आपके यादी कमांक जी0–1/2012/951–53 दिंनाक 05.03.2012 के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2011 की पालना में सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरती देवी एजुकेशनल सोसाईटी द्वारा चलाया जा रहा स्कूल कक्षा पैहली से आठवीं तक रॉयल ऑक इन्टरनैशनल स्कूल, न्यु पालम विहार, गुड़गांव की भूमि व भवन नैशनल हाईवे आथरटी आफ इण्डिया द्वारा अधिगृत करने के कारण नये स्कूल भवन में शिफट करने की घटनोतर स्वीकृति नियम अनुसार प्रदान की जाती है। शेष शर्ते स्कूल संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी गुड़गांव द्वारा जारी स्थाई मान्यता दिंनाक 29.07.2005 में निहित तथा समय–2 पर जारी होने वाली हिदायते लागू होगी। यदि स्कूल संस्था स्कूल को स्तरोन्नत हेतू आवेदन प्रस्तुत करती है तो विभागीय नार्म 2003 व अनुमोदित 2007/2009 अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

Sd/
अधीक्षक पी0 एस0
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकुला।

पृष्ठाकन कमांक –सम– **दिंनाक पचंकूलाः–** 27-3-2012

पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव।
3. प्रबन्धक, श्रीमती सरती देवी एजुकेशनल सोसाईटी, ए–9, न्यु पालम विहार, गुड़गांव।
4. मुख्याध्यापक, रॉयल ऑक इन्टरनैशनल स्कूल, न्यु पालम विहार, गुड़गांव।

27-3-12
अधीक्षक पी0 एस0
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकुला।